"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मई 2023 — ज्येष्ठ 10, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 6948/डी. 56/21—अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 15—05—2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2023)
छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

धारा 292–ख का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292–ख की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) नगरपालिक निगम क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तथा निम्न आय वर्ग के लिए, पृथक रुप से, विकसित भू–खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, ऐसी संख्या में तथा ऐसे आकार में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये, आरक्षित रखना होगाः

परंतु यह कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले विकसित भू–खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या,

कालोनी में विकसित भू–खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या का 9% से कम नहीं होगा तथा निम्न आय वर्ग के लिए यह 6% से कम नहीं होगाः

परंतु यह और कि राज्य शासन, नियमों द्वारा यह प्रावधानित कर सकेगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु कालोनी निर्माता (कालोनाईज़र), विकसित भू–खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, कालोनी से भिन्न अन्यत्र किसी ऐसे स्थान पर उपलब्ध करा सकेगा, जो स्थान, इस संबंध में विहित शर्तों के अनुसार मान्य हो।''

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में, शब्द एवं अंक ''धारा 128–ग'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''धारा 128–क'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

(3) उप–धारा (2) का लोप किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 6948/डी. 56/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 31–05–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2023)
CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment in Section 292-B.

2. (1) For clause (a) of sub-section (1) of Section 292-B of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) In every residential colony in the municipal area, the colonizer will have to reserve developed plots and/or constructed houses/flats, separately for the economically weaker sections

and for the lower income groups, in such number, and of such size, as may be prescribed by the State Government:

Provided that the total number of the developed plots and/or constructed houses/ flats, to be reserved for the economically weaker sections shall not be less than 9% of the total number of developed plots and/or constructed houses/flats in the colony, and for low income group it shall not be less than 6%:

Provided further that the State Government may, through rules, provide that for the economically weaker sections, the colonizer may provide developed plots and/or houses / flats at a place other than in the colony, which place must satisfy the conditions prescribed in this regard."

(2) In clause (c) of sub-section (1), for the words and figure "Section 128-C", the words and figure "Section 128-A" shall be substituted.

(3) Sub-section (2) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.